6. संस्था के अंग -

संस्था के मुख्य रूप से दो अंग होंगे जो निम्न प्रकार है -

(1) साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति

(अ) साधारण सभा के कार्य :

(1) संस्था की नीति निर्धारण करना।
(2) संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
(3) ऐसे कार्य प्रबन्धकारिणी के क्षेत्र या काबू से बाहर हो करना।
(4) एडवाइजर समिति (सलाहकार समिति) या उपसमिति का गठन करना।
(5) आय-व्यय के लेखे को पास करना वर्ष भर का देना पावना पास करना।
(6) 20,000/- रू0 से अधिक के खर्चों की स्वीकृति देना।
(7) अध्यक्ष/मंत्री/उपाध्यक्ष द्वारा किसी अन्य प्रकार की राशि पर स्वीकृति देना।

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य -

1. सामाजिक कार्यों का संचालन करना।
2. सामान्य तथा विशेष बैठकों द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करना।
3. संस्था हेतु चल-अचल सम्पत्ति का संचय करना व निस्तारण करना।
4. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब का निरीक्षण करना तथा पास करना।
5. संस्था के हितों के लिए सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों तथा ऐजेन्सी तथा व्यक्तियों निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान से ऋण अनुदान एवं चन्दा आदि की मांग करना और उनके आवश्यक कागजात दस्तावेज को पूर्ण करने का अधिकार संस्था के किसी एक सदस्य को देगा।

7. साधारण सभा -

(अ) गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
(ब) बैठकें - सामान्य व विशेष।

सामान्य बैठक - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी।

विशेष बैठकें - विशेष बैठक वर्ष में एक बार होना आवश्यक है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि -

साधारण सभा की बैठक के लिये सूचना अवधि 5 दिन होगी तथा विशेष सभा के लिए सूचना अवधि 7 दिन होगी।

(द) गणपूर्ति -

2/3 सदस्यों से पूरी की जायेगी। यदि कोई मीटिंग स्थगित होती है तो उसी मामले के बारे में बुलाई गई मीटिंग के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। साधारण सभा की 02/3 बहुमत से गणपूर्ति कर ली जायेगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक, कोरम, सूचना अवधि कार्यकाल आदि -

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होना आवश्यक है। इसकी सूचना कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी और कोरम 2/3 सदस्यों से पूरी की जायेगी यदि कोई मीटिंग स्थगित होती है तो उसी मामले के बारे में बुलाई गई मीटिंग के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। इन मीटिंगों की सूचना एजेण्डों द्वारा दी जायेगी। साधारण सभा की 2/3 बहुमत में गणपूर्ति कर ली जायेगी। प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9. संस्था की कार्यकारिणी सभा -

संस्था की साधारण सभा में से [illegible] व्यक्तियों की कार्यकारिणी कमेटी कहलायेगी।

1. मंत्री
2. अध्यक्ष

Suraj Sharma
राजकुमारी
सीमा
आरती

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स